न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

11 / 2022

ीगण

1. हीरसिंह पुत्र खेताजी
2. हरीसिंह पुत्र रणछाजी
3. हनुमानसिंह पुत्र भंवरसिंह
4. सुन्दरदेवी पत्नी भंवरसिंह
5. मोडू पुत्र खेता
6. जोरसिंह पुत्र खेतसिंह
7. जालमसिंह पुत्र खेतसिंह
8. जडाव पत्नी रणजीता
9. छोगा पुत्र रणजीता
   जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
10. ओमप्रकाश पुत्र बुधराम
    जाति विश्नोई निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गुमानसिंह पुत्र उदसिंह
2. रतनसिंह पुत्र उदसिंह
3. शैतानसिंह पुत्र उदसिंह
4. तनसिंह पुत्र रिडमलसिंह
5. मोडसिंह पुत्र रिडमलसिंह
6. सुजानसिंह पुत्र रिडमलसिंह
7. मोरा पत्नी रिडमलसिंह फौत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 4 से 6
   जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी
10. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा 1
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संशोधन अधिनियम 2010)

उपस्थित :

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थीगण सं. 1 ता 6**

–: निर्णय :–

दिनांक :– 4/7/23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम जीवाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बारासण तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 946/695 क्षेत्रफल 6.4668 हैक्टयर में आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाडौसी विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के खेत खसरा नम्बर 703 रकबा 7.7295 हैक्टेयर ग्राम जीवाणियों की ढाणी में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरवार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 946/695 ग्राम जीवाणियों की ढाणी से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के खेत खसरा नम्बर 703 ग्राम मौखावा में

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1702 दिनांक 17.10.2022 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जीवाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 948/704 रकबा 4.4192 हैक्टेयर में भूमि रास्ते हेतु समर्पित की हुई है इस रास्ते हेतु समर्पित भूमि से आगे कटान मार्ग खसरा नम्बर 755 तक खसरा नम्बर 703 रकबा 7.7295 हैक्टेयर में से संग्न मौका नक्शा अनुसार रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित है, इस प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 94 गट्ठा व चौडाई 3 गट्ठा का कुल रकबा 0–14 बीघा अर्थात 0.1133 हैक्टेयर है। इसके अलावा कटान मार्ग तक पहुंचने का अन्य नजदीकी विकल्प नहीं है। वक्त निरीक्षण प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण नहीं किया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा आसपास के खसरों में से होकर पगडंडी द्वारा कटान मार्ग तक पहुंचा जाता है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 946/695 एवं आसपास के खसरों के खातेदारान द्वारा कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई है। मौतबरान द्वारा अवगत कराया कि विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता की भूमि समर्पित करने के आश्वासन पर अन्य खसरों के खातेदारों द्वारा लगभग 1–2 किमी तक भूमि समर्पित की गई है। संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 703 में से रकबा 0–14 बीघा अर्थात 0.1133 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु दर्ज किया जाना उचित है। तहसीलदार गुड़ामालानी की उक्त रिपोर्ट पर वकील विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया कि उक्त उक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर नहीं जाकर अपने अधीनस्त राजस्व कार्मिकों से तैयार करवाई है जो प्रार्थीगण के बताये अनुसार बनाई है। प्रार्थीगण जहां से आवागमन करते है वहां से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है फिर भी विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 703 में से ही रास्ता दिया जाना है तो आधा खसरा नम्बर 703 में से तथा आधा खसरा नम्बर 703 के सेढा–सेढ खसरा नम्बर 705 में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित होगा।

विप्रार्थीगण की उक्त आपत्ति पर भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने पुनः मौका रिपोर्ट क्रमांक 04 दिनांक 12.06.2023 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि की पुनः मौका जांच की गई। ग्राम जीवाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 946/695 रकबा 6.4648 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में पूर्व पत्रांक 1702 दिनांक 17.10.2022 के द्वारा खसरा नम्बर 703 रकबा 7.7295 हैक्टेयर में से प्रस्तावित 0–14 हैक्टेयर अथवा 0.1133 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गयी, विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे तक पहूंचने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा नजदीक अन्य विकल्प उपलब्ध बताया गया जबकि राजस्व रेकर्ड एवं मौके के अनुसार खसरा नम्बर 946/695 तक पहूंच हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस खसरे के नजदीक खसरा नम्बर 947/704 रास्ते हेतु समर्पित राजकीय

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

भूमि जिसका कटान मार्ग से लिंक नहीं है। रास्ते की इस भूमि एवं कटान मार्ग के मध्य खसरा नम्बर 703 की भूमि आती है जिसे रास्ते हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि न्यूनतम दूरी एवं क्षेत्रफल पर आधारित है। विप्रार्थीगण द्वारा लगाई गई आपत्तियां निराधार है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ते की भूमि की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन अध्ययन किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की आपत्ति के परिपेक्षय में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत दौनों मौका रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट में सबसे नजदीकी विकल्प खसरा संख्या 703 में से ही होना अंकित किया है तथा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना बताया है। चूंकि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 946/695 एवं आसपास के खसरों के खातेदारान द्वारा कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई है। मौतबरान द्वारा अवगत कराया कि विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता की भूमि समर्पित करने के आश्वासन पर अन्य खसरों के खातेदारों द्वारा लगभग 1–2 किमी तक भूमि समर्पित की गई है। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 703 में से ही कटान मार्ग तक पहुंच का सबसे नजदीकी विकल्प है, तथा प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है, उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के अतिरिक्त आसपास के सभी खातेदारों के लिये अत्यन्त ही उपयोगी होने से विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की आपत्ति निराधार प्रतीत होती है। अतः विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की अपत्तियां निराधार होने से खारिज की जाती हैं।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट कमांक 1702 दिनांक 17.10.2022 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''हरा रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 946/695 ग्राम जीवाणियों की ढाणी में आने–जाने हेतु विप्रार्थीगण की आराजी ग्राम जीवाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 703 में से लम्बाई 94 गट्ठा तथा चौडाई 3 गट्ठा कुल रकबा 0–14 वीघा (0.1133 हैक्टेयर) भूमि रास्ते हेतु बरंग ''हरा'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड़, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/7/23 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी